न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1/187/2017 दायर दिनांकः– 29/09/2017

जीसीएमएस नं0ः–2017/367 निर्णय दिनांकः– 28/5/2024

वउनवान

1. मानसिंह पुत्र श्री नन्दलाल जाति दरोगा निवासी दांतिया तहसील कठूमर जिला अलवर

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्ट्रर अलवर बहै0 लेण्ड होल्डर
2. तहसीलदार कठूमर बहैसियत लैण्ड होल्डर

प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक दवामी अन्तर्गत धारा– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः–श्री देवेन्द्रसिंह नरूका– अधिवक्ता वादी

प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान पैरोकार उप0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:11:04 IST
Reason: SelfAttested

—ःनिर्णयः—

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा घोषणात्मक मशवरे दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से कि आराजी खसरा नम्बर 69 रकबा 0.46 हैक्ट0 ग्राम पीपलखेडा व खसरा नम्बर 441 रकबा 0.89 हैक्ट0, खसरा नम्बर 442 रकबा

0.87 हैक्ट0 ग्राम दांतिया तहसील कठूमर में स्थित है। वादी जाति से दरोगा है लेकिन खसरा नम्बर 441, 442 वाके ग्राम दांतिया में वादी की जाति जाटव व खसरा नम्बर 69 रकबा 0.46 हैक्ट0 वाके ग्राम पीपलखेडा में वादी की जाति बलाई गलत रूप से दर्ज चली आ रही है। वादी की जाति ना तो जाटव है और ना बलाई बल्कि वादी दरोगा जाति का व्यक्ति है। वादी द्वारा कार्यालय तहसीलदार कठूमर के यहां से जारी कराये जाति प्रमाण पत्र में जाति दरोगा दर्ज है राजस्व विभाग द्वारा जारी भूमि की पुरानी पास बुकों में वादी की जाति दरोगा दर्ज है पीपलखेडा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर द्वारा जारी मांग पत्र खाता संख्या 26/31 दिनांक 15.02.1998 में जाति दरोगा दर्ज है। राजस्व कर्मचारियान व अधिकारियान ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्ध तरीके से वादी की जाति दरोगा के स्थान पर जाटव व बलाई दर्ज कर दिया। जिससे हाल गलत राजस्व रेकार्ड से वादी के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। वादी ने प्रतिवादीगण व इनके मातहत कर्मचारियान से हाल राजस्व रिकार्ड से बलाई व जाटव के स्थान पर दरोगा दर्ज करने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण व इनके मातहत कर्मचारियान ने इन्द्राज दुरूस्त करने से मना कर दिया। गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर प्रतिवादीगण को धारा 80 जा0दी0 का नोटिस दिया गया नोटिस अवधि समाप्त होने से पूर्व दावा पेश करने के लिये अलग से धारा 80(2) जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर अदालत श्रीमान से इजाजत ले ली गई है। अतः वादीगण ने दावा मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 04.06.2[illegible] पैरोकार सरकार ने दावा के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये जबाव पेश कि[illegible]। वादी के दावा व प्रतिवादीगण के जबाव के आधार पर वाद में निम्न तनकीहात कायम की गई –

28/5/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:11:04 IST
Reason: SelfAttested

तनकी संख्याः–1 आया वादी आराजी खसरा नम्बर 441व 442 किता 2 रकबा 1.76 हेक्ट वाके ग्राम दांतिया के राजस्व रिकार्ड में जाति शुद्व कराने का अधिकारी है—— जिम्मेवादी

तनकी संख्याः–2 आया वादी राजस्व रेकार्ड में मुताबिक जाति प्रमाण पत्र एंव ID प्रूफ के आधार पर जाति शुद्व कराने का अधिकारी है – जिम्मेवादी

तनकी संख्याः–3 आया प्रतिवादीगण मुताबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार शुद्वि करने का अधिकारी नहीं है —— जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी संख्याः–4 अन्य अनुतोष कानून अनुसार –जिम्मेप्रतिवादीगण

वादी ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम दांतिया व पीपलखेडा की संवत् 2070 से 2073 की जमाबन्दी पेश की है। मौखिक साक्ष्य में किसी भी गवाह को परीक्षित नहीं कराया है। प्रतिवादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य में संवत् 2021 की जमाबन्दी वाके ग्राम दांतिया व संवत् 2017 की जमाबन्दी वाके ग्राम पीपलखेडा जमाबन्दी संवत् 2028 व मिलान क्षेत्रफल की सत्यप्रतिलिपी पेश की है जो शामिल पत्रावली है। उभयपक्ष बहस सुनी गयी। उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अधार पर तनकी वार निर्णय निम्नानुसार किया जाता हैः–

तनकी संख्या 1 व 2 – समान प्रकृति की है जिनको साबित करने का भार वादी पर है दोनों तनकियों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। बहस सुनी गई विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये दावा [illegible]त होने से डिग्री किये जाने का निवेदन किया है। विद्वान पैरोकार सरकार तहसीलदार कठूमर ने अपनी बहस में दावा के तथ्यों को गलत बताते हुये अपने [illegible] दावा के तथ्यों को दोहराते हुये बाद वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pinder
Date: 2024.06.19 10:11:04 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली के तथ्यों, प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2070 से 73 में खसरा नम्बर 441 व 442 में खातेदार मानसिंह, बाबू पि0 नन्दलाल बगैरा की जाति जाटव दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2070 से 73 में खसरा नम्बर 69 में खातेदार मानसिंह की जाति बलाई दर्ज है। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से यह साबित है कि खसरा नम्बर 441व 442 वाके ग्राम दांतिया का साबिक खसरा नम्बर 342 मिन है तथा साबिक जमाबन्दी संवत् 2021, 2017 एवं जमाबन्दी संवत् 2028 वाके ग्राम दांतिया में साबिक खसरा नम्बरान पर वादी के पिता नन्दलाल की जाति बलाई दर्ज है।

वादी ने अपने दावा में कथन किया कि राजस्व कर्मचारियान ने खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से वादी की जाति दरोगा के स्थान पर जाटव व बलाई दर्ज कर दी है। ये तथ्य वादी को अपने दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करने चाहिए थे कि कौनसे रिकार्ड में वादी की जाति दरोगा दर्ज है जिसे बदल कर राजस्व कर्मचारियान ने दरोगा के स्थान पर जाटव व बलाई दर्ज किया है लेकिन वादी ने इन तथ्यों को साबित करने के लिये पत्रावली पर कोई राजस्व रेकार्ड पेश नही किया है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण ने साबिक राजस्व रिकार्ड की सत्य प्रतिलिपियां प्रस्तुत की है जिन पुराने राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता की जाति बलाई दर्ज है। चूँकि दरोगा जाति सवर्ण जाति में आती है जबकि बलाई व जाटव अनुसूचित जाति में आते है, जिसे जाति को वादी किसी तरह से दुरूस्त कराने का अधिकारी नहीं पाया जाता है अतः वादी इन दोनों तनकियों को साबित करने में असफल रहा है। इस वजह से यह तनकी विरूद्व वादी निर्णीत की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:11:04 IST
Reason: SelfAttested

<u>**तनकी संख्या 3**</u> को साबित [illegible] का भार प्रतिवादीगण पर था। तनकी सं0 1व 2 के विस्तृत विवेचन से वा[illegible] अपनी जाति को शुद्व कराने का अधिकारी नहीं पाया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत साबिक राजस्व रिकार्ड से वादी की जाति बलाई होना साबित है, जिस कारण वादी अपनी जाति का

शुद्विकरण कराने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

<u>**तनकी संख्या 4–**</u> अनुतोष की है

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि तीनों तनकियों वादी के विरूद्व निर्णित हुई है अतः उभय पक्ष बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

<u>—:आदेश:—</u>

अतः दावा वादी घोषणात्मक मशवरे दवामी वादी को आराजी खसरा नम्बर 441, 442 वाके ग्राम दांतिया व खसरा नम्बर 69 वाके ग्राम पीपलखेडा बाबत वादी का दावा साबित नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:11:04 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 1/187/2017 दायर दिनांकः— 29/09/2017

जीसीएमएस नं0ः—2017/367 निर्णय दिनांकः— 28/5/2024

वउनवान

2. मानसिंह पुत्र श्री नन्दलाल जाति दरोगा निवासी दांतिया तहसील कठूमर जिला अलवर

वादी

बनाम

3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्ट्रर अलवर बहै0 लेण्ड होल्डर
4. तहसीलदार कठूमर बहैसियत लैण्ड होल्डर

प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक दवामी अन्तर्गत धारा—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः दावा वादी घोषणात्मक मशवरे दवामी वादी को आराजी खसरा नम्बर 441, 442 वाके ग्राम दांतिया व खसरा नम्बर 69 वाके ग्राम पीपलखेडा बाबत वादी का दावा साबित नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 28.05.2024 को पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:11:04 IST
Reason: SelfAttested

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

की पालना में पत्रा... के वास्ते...... बहस......
दिनांक... 21/5/24 .... को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी,
[illegible] ([illegible]

21/5/24	अपील नम्बर 1/2024 अपरिवक्ता। आदेश दिनांक 1/3/24 की पालना में पत्रा... साक्ष्य/बहस वास्ते दिनांक... 28/5/24......... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी [illegible] ([illegible]
28/5/2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित आए। दावा वादी धोखाधड़ीपूर्वक [illegible] खसरा नम्बर 441, 442 [illegible] ख.न 69 [illegible] ग्राम पीपलखेड़ा बाबत वादी का दावा साबित नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली दाखिल [illegible] जावे। [illegible] जिला [illegible] उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.19 10:11:04 IST
Reason: SelfAttested